


राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)()डीएलबी/17/6061

दिनांक: 15.5.2020

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 1909-17 दिनांक 17.02.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देशानुसार श्री ओम प्रकाश शर्मा, विधि सलाहकार, नगरपालिका कोटपुतली के स्थान पर श्री अमी लाल यादव, एडवोकेट को विधि सलाहकार/पैनल लॉयर नियुक्त किया जाता है। इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगरपालिका कोटपुतली से देय होगा। उक्त आदेश पद रिक्त होने पर ही लागू होगा।


(उज्ज्वल राठौड़)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)()डीएलबी/20/6062-6070

दिनांक: 15.5.2020

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जयपुर।
05. अध्यक्ष/अधिसाधी अधिकारी, नगरपालिका, कोटपुतली जिला जयपुर।
06. श्री अमी लाल यादव, एडवोकेट मार्फत, नगरपालिका, कोटपुतली जिला जयपुर।
07. श्री ओम प्रकाश शर्मा, एडवोकेट, मार्फत नगर पालिका कोटपुतली जिला जयपुर।
08. प्राग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी